तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र/निगरानी/टी ए/5202/2023/जयपुर(ग्रामीण) विक्रम बनाम लाली	नम्बरतारीख
09-1-2023	**एकल पीठ** **डॉ. राकेश कुमार शर्मा, सदस्य** **उपस्थित** श्री विकास पाराशर, अभिभाषक प्रार्थी श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** 1– अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत मण्डल द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 22–9–2023 को निरस्त करने हेतु उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। 2– अप्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–7–2023 के विरूद्ध निगराकार द्वारा मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। मण्डल द्वारा उक्त निगरानी का निर्णय पारित किये जाते समय अप्रार्थीया को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया जबकि अप्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही निर्णय पारित करना चाहिए। मण्डल द्वारा सम्पूर्ण निगरानी का निर्णय करते हुए विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–7–2023 को निरस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में मण्डल को उपरोक्त निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अप्रार्थीया को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करना चाहिए था। इसलिए मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–9–2023 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। 3– विद्वान प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 22–9–2023 के द्वारा निगरानीधीन आदेश को अंतरिम आदेश मानते हुए निगरानी खारिज फरमा दी किन्तु वाद की विषयवस्तु को सुरक्षित रखने एवं वाद को बहुलता को रोकने हेतु न्यायहित में धारा 221 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–7–2023 को निरस्त किये जाने में किसी प्रकार की न्यायालय ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र/निगरानी/टी ए/5202/2023/जयपुर(ग्रामीण) विक्रम बनाम लाली	नम्बरतारीख
	त्रुटि कारित नहीं की है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। 4– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 5– प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 14 ने एक राजस्व वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष वादपत्र में अंकित वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रस्तुत किया। जिस पर विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम द्वारा आदेश दिनांक 22–3–2023 से वादग्रस्त आराजीयात पर उभयपक्षों को आगामी तारीख पेशी दिनांक 04–4–2023 तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 22–3–2023 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील मियाद बाधित लगभग दो माह पश्चात मय धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 25–7–2023 से कोई युक्तियुक्त आदेश पारित किये बिना विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–3–2023 की क्रियान्विती को स्थगित किये जाने के आदेश पारित कर दिया। जिस पर **मण्डल द्वारा निगरानी में अपने आदेश दिनांक 22–9–2023 के द्वारा निगरानीधीन आदेश को अंतरिम आदेश मानते हुए निगरानी खारिज फरमा दी किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर विवादित आराजीयात बाबत रहन, बेचान, मुंतकि एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण जैसी खुली छुट प्रदान करने का आदेश पारित कर दिया जो कि काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। वाद बहुलता एवं अनावश्यक पेचेदगीया नहीं बढने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये वाद की विषयवस्तु को सुरक्षित रखने एवं वाद को बहुलता को रोकने हेतु न्यायहित में धारा 221 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र/निगरानी/टी ए/5202/2023/जयपुर(ग्रामीण) विक्रम बनाम लाली	नम्बरतारीख
	दिनांक 25–7–2023 को निरस्त किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय में मूल अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर के लिए पाबन्द किया गया है इसलिए **अप्रार्थीया को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नियत तारीख पर रखना चाहिए।** 6– मंडल की एकल पीठ द्वारा किसी प्रकार की तथ्यात्मक एंव विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत् प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। 7– परिणामतः हस्तगत प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा खारिज की जाता है तथा मंडल की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–9–2023 बहाल रखा जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ राकेश कुमार शर्मा)** सदस्य	